


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>सुनिल पारिक बनाम</p> <p>लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)</p> <p>सू.अ. अपील संख्या 35/2024</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>15/07/2024</p>	<p>अपीलार्थी सुनिल पारिक निवासी सेक्टर एच, मकान नं. 31, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2024 में उनके द्वारा श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत लोकसभा उम्मीदवार द्वारा वर्ष 2014 व 2019 के नामांकन से संबंधित सूचना एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 1921 दिनांक 25.06.2024 को बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये पत्रांक 1597 दिनांक 04.03.2024 को प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर को प्रेषित किया गया तथा जरिये पत्रांक 1684 दिनांक 09.04.2024 द्वारा स्मरण पत्र जारी कर सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया परंतु वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा से अपेक्षित होने से प्रार्थी को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।</p> <p>चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) के स्तर से अपेक्षित नहीं होकर लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर एवं प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर) के स्तर पर लंबित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर एवं प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.) </p>	